कैदियों पर प्रत्यावर्तन अधनियिम (Prison Reform Act), 2003

संदर्भ

ऐसे कई मामले हैं जब एक देश के अपराधयिों ने अन्य देशों की जेलों में समय काटा है। उदाहरण के लयि भारतीयों ने ब्रटिन, पाकस्तिान या सऊदी अरब की जेलों में समय बताया है इसके वपिरीत बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका जैसे देशों के कैदयिों ने भी भारतीय जेलों में समय काटा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अपराधयिों को अपने देश से दूर होने के कारण 'मानव' नहीं माना जाता है, खासकर जब उन्हें मामूली अपराध में सज़ा सुनाई जाती है।

प्रमुख बदुि

- नागरकि और राजनीतकि अधकिारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध अनुच्छेद 12(4) के तहत कहा गया है कि एक व्यक्ति को उसके अपने देश लौटने का अधकिार है। अपने देश की अपेक्षा अन्य देश में सज़ा काटना कठनि माना गया है।
- वर्ष 1963 के कॉन्सुलर रलिशिंस पर वयिना सम्मेलन के तहत दूसरे देश में गरिफ्तारी, हरिसित और परीक्षण पर कॉन्सुलर संरक्षण का प्रावधान है।
- वदिशी कैदयिों के स्थानांतरण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल समझौता और 1985 के वदिशी कैदयिों के उपचार की सफिारशिों के माध्यम से 'वदिशी कैदयिों के सामाजकि पुनर्वास' पर उनके घरेलू देशों के प्रारंभकि प्रत्यावर्तन के माध्यम से ज़ोर दयिा गया है।
- सज़ायाफ्ता कैदयिों के हस्तांतरण से संबंधति क़ानून युद्ध के बाद मानवतावादी वनिमिय ('पीओयू-युद्ध के कैदी') में नहिति है और वर्ष 2004 के दो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संगठति अपराध और भ्रष्टाचार के खलिाफ कानून में नहिति है।
- राज्य कैदयिों का आदान-प्रदान करने के लयि द्वपिक्षीय या बहुपक्षीय समझौतें करने के लयि स्वतंत्र हैं। यहाँ यह सद्धिांत शामलि है कि 'वदिश में कयिा गया अपराध स्वयं के देश में भी एक अपराध ही है' बशर्ते कि कैदयिों के हस्तांतरण की बातों को उत्तेजति/भड़काया न जाए (जसिमें भारी वृद्धि हुई है)।

भारत में स्थति

- कैदयिों प्रत्यावर्तन अधनियिम, 2003 में दो भाग शामलि हैं, जहाँ पहला हस्सिा भारतीय जेलों से अपने संबंधति मूल के देशों में वदिशी कैदयिों के हस्तांतरण से संबंधति है, जबकि दूसरा हस्सिा अपने देश में कसिी भी वदिशी देश से सज़ायाफ्ता भारतीय नागरकिों को लाने से संबंधति है।
- लगभग सभी प्रकार के कैदी प्रत्यावर्तन के योग्य हैं, बशर्ते कि वे इन शर्तों को पूरा करें:

  - वे वापस आने के इच्छुक हो;
  - उन पर कसिी भी अदालत में कोई लंबति अपील न हो;
  - अपराध सैन्य कानून के अधकिार क्षेत्र में नहीं आता हो;
  - मृत्युदंड न दयिा गया हो;
  - उन्हें सुनाई गई सज़ा में से कम-से-कम 6 महीने की सज़ा शेष हो;
  - प्रत्यावर्तन के मामले में दोनों देशों की सहमति हो;

कैदयिों के प्रत्यावर्तन से संबंधति अधनियिम भारत के लयि बहुत महत्त्वपूर्ण है:

- वदिश मंत्रालय के अनुसार मार्च 2018 तक कम-से-कम 7,850 भारतीय नागरकि 78 देशों की जेलों में कैद थे।
- राष्ट्रीय अपराध रकिॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2015 में भारतीय जेलों में 6,185 वदिशी नागरकि थे; उनमें से 66% अकेले बांग्लादेश से थे।
- भारतीयों को सबसे अधकि सज़ा देने वाले देशों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ब्रटिेन, अमेरकिा, कनाडा, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, फ्राँस, जर्मनी, इंडोनेशयिा,म्याँमार और थाईलैंड शामलि हैं।
- भारत ने प्रत्यावर्तन से संबंधति 30 द्वपिक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर कयि हैं तथा वदिश में कयि गए अपराधों पर अंतर-अमेरकिी

सम्मेलन (the Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad) और सज़ायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर यूरोप परषिद के सम्मेलन (Council of Europe’s Convention on the Transfer of Sentenced Persons) के साथ स्थानांतरण समझौता भी कयिा है।

- बाद वाले दोनों समझौते कम-से-कम 50 अन्य देशों को भारत के साथ एक सहकारी कानूनी ढाँचे के अंतर्गत लाते हैं।

नष्किर्ष

प्रत्यावर्तन के लयिे कयिे गए वभिन्नि प्रयासों और समझौतों के बावजूद वास्तवकिता बहुत अधकि भरोसेमंद नहीं है। वर्ष 2015 में भारत से केवल 9 वदिशी कैदयिों (6 यूनाइटेड कगिंडम से, फ्राँस, ज़र्मनी तथा संयुक्त अरब अमीरात से एक-एक)को वापसि उनके देश में भेजा गया था। इसके अलावा 2003 से मार्च 2018 के बीच भारतीय नागरकिों को स्थानांतरति करने के लयिे कयिे गए 171 आवेदनों में से केवल 63 को स्वीकार कयिा गया है।

कैदयिों का प्रत्यावर्तन अधनियिम भारत के लयिे दोनों तरफ से फायदेमंद स्थतिि है इसके दो कारण हैं :

- भारत को वदिशी कैदयिों के आवास पर अनावश्यक खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
- भारतीय कैदयिों को अपने देश वापस लाकर भारत वदिशों में स्थति अपने दूतावास संबंधी सेवाओं क्व मामले में काफी बचत कर सकता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/coming-home-to-jail-on-the-repatriation-of-prisoners-act-2003